



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215708
CG-DL-E-27012020-215708

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941

No. 46]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि.49(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त कारागार (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011 (2016 का अधिनियम संख्यांक 23) का निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

कारागार (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011 में,-

(क) धारा 1 की उपधारा (1) में, "2011" अंकों के पश्चात् "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) धारा 2 के आरंभिक पैरा में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़" शब्द रखे जाएंगे ;

[फा.सं. यू.-11020/ 1/2019-यूटीएल]

गोविंद मोहन, अपर सचिव

उपाबंध

पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

6 सितंबर, 2016

सं. 30-वि./2016 - पंजाब राज्य विधान मंडल के निम्नलिखित अधिनियम को, जिसपर तारीख 13 अगस्त, 2014 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

कारागार (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011

(2016 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 23)

कारागार अधिनियम, 1894 का पंजाब राज्य में उसके लागू होने और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारागार (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. कारागार अधिनियम, 1894 में उसके पंजाब राज्य में लागू होने के लिए धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 1984 के केन्द्रीय अधिनियम 9 में नई धारा का अंतःस्थापन।

“52-क(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कैदी मोबाइल फोन या उनके संघटक भागों जैसे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, बैटरी चार्जर का कब्जा, प्रचालन या उपयोग करने का दोषी पाया जाता है अथवा कोई कैदी या कोई अन्य व्यक्ति उनकी पूर्ति करने में सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है या उकसाता है तो वह ऐसी अवधि के कारवास से, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगा ; और यदि मोबाइल फोन किसी कैदी द्वारा जेल परिसर के बाहर या भीतर कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जो चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगा। जुर्माना के न दिए जाने की दशा में, कारावास का एक वर्ष तक और विस्तारित किया जा सकेगा।

मोबाइल फोन का प्रतिषेध।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।”।

विवेक पुरी

सचिव, पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2020

G.S.R. 49(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Prisons (Punjab Amendment) Act, 2011 (Punjab Act No. 23 of 2016), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

In the Prisons (Punjab Amendment) Act, 2011,-

- (a) in section 1, in sub-section (1), after figures “2011”, the words “as extended to the Union territory of Chandigarh”, shall be inserted;
- (b) in section 2, in the opening paragraph, for the words “State of Punjab”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted.

[F.No. U-11020/1/2019-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.

ANNEXURE**GOVERNMENT OF PUNJAB**

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NotificationThe 6th September, 2016

No. 30-Leg./2016.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the President of India on the 13th day of August, 2014, is hereby published for general information:-

**THE PRISONS (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2011
(PUNJAB ACT NO. 23 OF 2016)**

**AN
ACT**

further to amend the Prisons Act, 1894, in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in Sixty-second Year of Republic of India.

1. (1) This Act may be called the Prisons (Punjab Amendment) Act, 2011. *Short title and commencement.*
- (2) It shall come into force at once.
2. In the Prisons Act, 1894, in its application to the State of Punjab, after section 52, the following section shall be inserted, namely:- *Insertion of new section in Central Act 9 of 1984.*
- “52-A (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if any prisoner is found guilty of possessing, operating or using a mobile phone or their component parts like SIM card, *Prohibition of Mobile Phone.*

memory card, Battery of Charger or if the prisoner or any other person assists or abets or instigates in the supply thereof, he shall be punished with imprisonment for a term, not exceeding one year or with fine, not exceeding rupees twenty five thousand or with both; and if the mobile phone is used for committing an offence inside or outside the jail's premises by a prisoner, the imprisonment shall not be less than one year, which may extend to three years or with fine, not exceeding rupees forty thousand or with both. In case of non-payment of fine, the imprisonment may be further extended upto one year.

(2) The offence committed under sub-section (1), shall be cognizable and shall be triable by the court of the Magistrate First Class.”.

VIVEK PURI

Secretary to Government Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.